Regarding reservation for Economically Backward Classes

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं यहां पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अन्दर जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके इससे वंचित रह जाने के मुद्दे को इस सदन में उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

आदरणीय सभापति महोदय, 27 प्रतिशत के आरक्षण के अन्दर मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में, खास तौर से, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कहार, कुम्हार, बिंद, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मौर्य, कुशवाहा, नाई, विश्वकर्मा समाज के लोग इस 27 प्रतिशत के आरक्षण से पूर्णतया वंचित रह जाते हैं और इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति दलित समाज से भी ज्यादा दयनीय हो गयी है ।

महोदय, वर्ष 2017 में भारत सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसका काम ओबीसी आरक्षण के अन्तर्गत आरक्षण का असमान लाभ कुछ चन्द साधन सम्पन्न बिरादरी के पास रह जाता है, उसको बांटने का था, जिसमें 12 प्रतिशत अति पिछड़े वर्गों के लिए, जो पूरी तरह से वंचित है, 10 प्रतिशत उनके लिए जो थोड़े वंचित है, और 5 प्रतिशत जो साधन सम्पन्न हैं, उनके लिए करने का है । इसलिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके इसको लागू करना अत्यंत ही जरूरी हो गया है